तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4040/2005/करौली** **मांगीलाल बनाम भंवरबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री जे0के0 पारीक, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री हगामी लाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः30.10.2025

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 उप जिला कलक्टर, सपोटरा के प्रकरण सं0 16/2004 में पारित आदेश दिनांक 21–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम गोकलपुर के खसरा नंबर 13, 23, 47, 67, 69, 71, 78, 84, 112, 115, 116, 129, 136 कुल किता 14 तथा ग्राम कुडगांव के खसरा नं0 99 व 290 के 1/3 भाग के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण यदि सायल नं0 1 से 3 को बाधा उत्पन्न करें तो थानाधिकारी, कुडगांव पुलिस इमदाद उपलब्ध कराकर काबिज काश्त करावें।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4040/2005/करौली** **मांगीलाल बनाम भंवरबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 द्वारा दावा केवल खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 द्वारा अपना 1/3 हिस्सा बताया गया था। अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा बंटवारे का दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 से 4 का 1/3 हिस्सा कौनसा है, यह बिना बंटवारे के दावे में तय नहीं हो सकता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं0 1 से 4 के नाम दर्ज नहीं थी। अप्रार्थी सं0 1 से 4 अजनबी केता हैं। बंटवारे का दावा किये बिना वादग्रस्त आराजी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और न ही सह खातेदारों के विरूद्ध पुलिस इमदाद से कब्जा प्राप्त कर सकते थे। विचारण न्यायालय भी प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रश्नगत आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थी और न ही विचारण न्यायालय अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को सुनने में सक्षम थी तथा न ही विचारण न्यायालय पुलिस इमदाद के माध्यम से कब्जा कराने में सक्षम थी। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वह सभी तथ्य मनगढ़न्त व गलत थे। अप्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य अंकित किये गये थे उन तथ्यों को साबित नहीं किया था और ना ही उनके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की थी। इसलिए अप्रार्थीगण के पक्ष में पुलिस इमदाद प्रदान नहीं की जा सकती थी। विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4040/2005/करौली** **मांगीलाल बनाम भंवरबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर, सपोटरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–07–2005 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 निरस्त किया जावें। 4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के तर्को का विरोध करते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–07–2005 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में गैर सायलान यदि सायल नं0 1 से 3 को बाधा उत्पन्न करें तो थानाधिकारी, कुडगांव को पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1999 आर0आर0डी0 पेज 211 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये। 5– उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया। 6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सायलान भंवरबाई वगैरह की ओर से विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत किया गया। दौराने विचारण अप्रार्थी सं0 1	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4040/2005/करौली** **मांगीलाल बनाम भंवरबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से 4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी सं0 1 से 4 के 1/3 भाग के कब्जे काश्त में प्रार्थीगण बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा थानाधिकारी, कुडगांव को निर्देशित किया गया है कि पुलिस इमदाद उपलब्ध कराकर काबिज काश्त करावें। 7– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का बहस में मुख्य तर्क यही है कि अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 द्वारा दावा केवल खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 द्वारा अपना 1/3 हिस्सा बताया गया था। अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा बंटवारे का दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 से 4 का 1/3 हिस्सा कौनसा है, दावे में बिना बंटवारे के यह तय नहीं हो सकता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं0 1 से 4 के नाम दर्ज नहीं थी। अप्रार्थी सं0 1 से 4 अजनबी केता हैं। बिना बंटवारे का दावा किये वादग्रस्त आराजी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और न ही सह खातेदारों के विरूद्ध पुलिस इमदाद की सहायता से कब्जा प्राप्त कर सकते थे। 8– हमारे विनम्र मतानुसार जब तक भूमि का सहखातेदारों के मध्य बंटवारा नहीं हो जाता है सभी का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है और कोई भी सहखातेदार Specific Piece of Land को विक्रय नहीं कर सकता है जब तक की बंटवारा नहीं हो जाता है। वह केवल अपना हिस्सा ही बेच सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा केवल 1/3 हिस्सा ही क्रय किया गया है तो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4040/2005/करौली** **मांगीलाल बनाम भंवरबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उन्हें पुलिस इमदाद से भूमि पर काबिज नहीं करवाया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी में बिना बंटवारा कराये पुलिस इमदाद से काबिज काश्त नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

9– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है।

10– अतः प्रार्थीगण की निगरानी न्यायहित में **स्वीकार** की जाती है। उप जिला कलक्टर, सपोटरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–07–2025 को निरस्त किया जाता है।

11– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य